UPKJ01-000437-2026
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
कक्ष संख्या-1, कन्नौज।
पीठासीन अधिकारी- हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP6489
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-216/2026

1. घनश्याम पुत्र जगदीश, निवासी-जसापुर्वा थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

2. सन्जू उर्फ रीतेश कुमार पुत्र श्रीराम, निवासी खलकपुर्वा थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

................अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन पक्ष।

परिवाद संख्या-149/2016
दुर्विजय प्रति मुन्नू आदि।
धारा- 395, 323, 506 IPC
थाना-ठठिया, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **घनश्याम** व **सन्जू उर्फ रीतेश कुमार** की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उपरोक्त मुकदमा में झूठा रंजिशन फंसाया गया है। उनके द्वारा मारपीट, लूटपाट व जान से मारने की धमकी देने का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त परिवाद में वादी मुकदमा की ओर से जो साक्षी अंतर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता परीक्षित कराये गए हैं, वे परिवादी के खानदानी हैं। प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 23.10.2016 को समय करीब 7-8 बजे रात को उसके गांव के पहले पुलिया के पास थाना ठठिया जिला कन्नौज में अभियुक्तगण मुन्नू, घनश्याम, ओमशरन, अजमेर, छुन्नू व संजू ने परिवादी दुर्विजय को लात घूसों से व कट्टा की वट से मारापीटा और उसके गले से सोने की जंजीर व 5,600/- रूपए नकद लूट लिए तथा उसे जान से मारने की धमकी दी।

4. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को उसके गांव के पहले पुलिया के पास थाना ठठिया जिला कन्नौज में लात घूसों से व कट्टा की वट से मारपीट करते हुए उसके गले से सोने की जंजीर व 5,600/- रूपए नकद लूट लिए गए तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी गई। जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया और जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6 मामला परिवाद पर आधारित है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा दौरान अंतरिम जमानत, जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

7. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **घनश्याम** व **सन्जू उर्फ रीतेश कुमार** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **50,000/-(पचास हजार रूपये)** की दो जमानतें तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करें। अभियुक्तगण द्वारा इस आशय की अंडरटेकिंग भी दाखिल किया जाये कि-

अ- मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

ब- अभियुक्तगण आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकन के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वे न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

स- साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

द- साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित किया जा सकेगा।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 11:21:40 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

दिनांक–09.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489